राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला रसद अधिकारी, अजमेर

क्रमांकः— रसद./अभियोजन/6ए/2025—26/4265 दिनांकः 25/6/2025

निमित्त :—

श्रीमान ए.सी.पी. महोदय

DOIT खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :— नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 21.03.2022 को फर्म विजय एन्टरप्राईजेज पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अजमेर से पेट्रोलियम पदार्थ 37750 किग्रा जब्त किया गया, जिसका प्रकरण सं. 17/2022 है एवं दिनांक 17.01.2022 को फर्म विभूति एन्टरप्राईजेज दौराई अजमेर से पेट्रोलियम पदार्थ 18063.50 लीटर जब्त किया गया, जिसका प्रकरण सं. 05/2022 है। उक्त दोनो प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 25.05.2022 द्वारा उक्त दोनो प्रकरणो में जब्त पेट्रोलियम पदार्थ की खुली बिक्री से सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बिक्री कर राजकोष राशि जमा करानी है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में दिनांक 17.07.2025 को आदर्श नगर थाना व दिनांक 18.07.2025 को रामगंज थाना में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ की नीलामी की जानी है।

श्रीमान से निवेदन है कि सार्वजनिक नीलामी सूचना एवं नीलामी की शर्ते विभागीय वेबसाईट www.food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने का श्रम फरमांवें।

(रतन कौर)
जिला रसद अधिकारी(प्रथम)
अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला रसद अधिकारी, अजमेर

क्रमांकः– रसद./अभियोजन/6ए/2025–26/ 4226 दिनांकः 24/6/2025

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि माननीय न्यायलय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेशों की पालना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए.के. अन्तर्गत पैट्रोलियम पदार्थ की खुली नीलामी द्वारा जहॉ हैं जैसी रिथति में है का नीलामी से विक्रय किया जाना है। बोली दाता के पास पैट्रोलियम पदार्थ की खरीद ,विक्रय एंव भण्डारण का विधि सम्मत अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक है। नीलामी योग्य सामग्री का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	फर्म का नाम व नीलामी स्थल	नीलामी दिनांक एंव समय	वस्तु का नाम/मात्रा प्रकरण संख्या	अनुमानित बाजार मूल्य	धरोहर राशि (रूपये)
1	विजय एन्टरप्राइजेज एरिया पालरा इण्डस्ट्रीज, पालरा पुलिस थाना आदर्श नगर, अजमेर	17.07.2025 प्रातः 11.000 बजे	जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ 40000 लीटर (37750 किग्रा) प्रकरण सं. 17/2022	27.87 लाख रूपये जीएसटी सहित	55740/–
2	विभूति एन्टरप्राइजेज, दौराई, अजमेर पुलिस थाना रामगंज, अजमेर	18.07.2025 प्रातः 11.000 बजे	जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ 18063.50 लीटर प्रकरण सं. 05/2022	11.72 लाख रूपये जीएसटी सहित	23440/–

नोट :–

1. नीलामी से पूर्व बोलीदाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी अजमेर के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैकर चैक/ नगद जमा करवानी होगी।
2. बोली से पूर्व बोलीदाता नीलामी योग्य पैट्रोलियम पदार्थ का निरीक्षण कर सकता है।
3. नीलामी की सूचना विभाग की वेबसाईट http/www-food.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
4. नीलामी के सदर्भ में अन्य किसी भी जानकारी एंव अन्य शर्तो हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

(रतन कौर)
जिला रसद अधिकारी(प्रथम)
अजमेर

D:/Teekam/Prakash ji Files/ Nilami Suchna 2025

क्रमांकः– रसद. / अभियोजन / 6ए / 2025–26 / 4227-4239 दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य. एंव नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य. एंव नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है विभागीय प्रतिनिधि नीलामी दिनांक को भिजवाने की कृपा करावें।
3. तकनीकी निदेशक एन.आंई.सी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
4. श्रीमान वित्तीय सलाहकार महोदय, खाद्य. एंव नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर।
6. श्रीमान अतिरिक्त कलक्टर महोदय अजमेर।
7. श्रीमान कोषाधिकारी कोषालय अजमेर को नीलामी दिनांक को अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करावें।
8. जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
9. प्रभारी अधिकारी अभियोजन शाखा कार्यालय हाजा को माल की सुपुर्दगी हेतु।
10. स्टोर कीपर कार्यालय हाजा।
11. केशियर कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि नीलामी स्थल पर जी.ए.55 बुक एवं आवश्यक कार्यालय सामग्री लेकर प्रस्तुत होवें।
12. थानाधिकारी पुलिस थाना आदर्शनगर / रामगंज जिला अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक को नीलामी एवं माल सुपुर्दगी हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
13. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी / श्रीमती सोनल गर्ग प्रवर्तन निरीक्षक उक्त नीलामी हेतु थानाधिकारी से सम्पर्क कर नीलामी दिनांक को आवश्यक कार्यवाही करावें।

जिला रसद अधिकारी(प्रथम)
अजमेर

D:/Teekam/Prakash ji Files/ Nilami Suchna 2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला रसद अधिकारी अजमेर

नीलामी की अन्य शर्ते

1. नीलामी से पूर्व बोली दाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी अजमेर के नाम से जारी ड्राफट /बैंक चेक/नकद जमा करवानी होगी ।
2. बोली से पूर्व बोलीदाता पैट्रोलियम पदार्थ की बाली से पूर्व नीलामी स्थल का निरीक्षण कर सकता है।
3. नीलामी के संदर्भ में अन्य किसी भी जानकारी एवं अन्य शर्तो हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे सम्पर्क कर सकता है।
4. नीलामी की सूचना विभाग की वेबसाईट http/www.food.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
5. बोलीदाता के पास विधि सम्मत अनुज्ञा–पत्र होना आवश्यक है।
6. राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नीलामी की जावेगी।
7. डाक–तार–दुरभाष,ई–मेल द्वारा बोली मान्य नहीं होगी।
8. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छूटने पर बोलीदाता को कुल कीमत का 1/2 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 1/2 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करवाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे में लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
9. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/जीएसटी/ वेट) इत्यादि जो भी देय हो देना होगा ।
10. पैट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहाँ पदार्थ पडा है) सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
11. किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
12. पैट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात् बोलीदाता द्वारा उक्त पदार्थ का विधि संम्वत प्रयोंग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use certificate जिला रसद अधिकारी अजमेर को प्रस्तुत करना होगा।
13. न्याय क्षेत्र अजनेर होगा।